तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/4087/2006/भरतपुर शीतल बनाम लक्ष्मी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20-1-2025	**एकलपीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री मुकैश जैन, अभिभाषक प्रार्थी **आदेश** 1— यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी रूपवास (भरतपुर) के आदेश दिनांक 25—5—2006 के विरूद्व प्रस्तुत की गई हैं। जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास (भरतपुर) ने प्रार्थी वादीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते प्रतिवादीया बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने कारण उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जावे, को अपने आदेश दिनांक 25—5—2006 के द्वारा खारिज किया है। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी मंडल में पेश की गई है। 2— प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस निगरानी पर सुनी गई। 3— प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि प्रतिवादीया का प्रकरण में कोई हित निहित नहीं है। वादीया ने वाद के साथ टी.आई का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एवं उसका नोटिस प्रतिवादीया को तामील हो गया था, इसके बावजूद भी प्रतिवादीया द्वारा उपस्थित होकर निर्धारित समयावधि में कोई जवाबदेही नहीं की गयी, इस कारण प्रतिवादीया के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाकर एकपक्षीय आदेश पारित करना चाहिए था, किन्तु ऐसा नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर आदेश पारित किया जो काबिल निरस्तनीय है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 25—5—2006 निरस्त किया जाकर अप्रार्थीया संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जावे। 4— विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली के साथ संलग्न विचारण न्यायालय के आलौच्य आदेश व	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/4087/2006/भरतपुर शीतल बनाम लक्ष्मी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन व परिशीलन किया।

5— प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास (भरतपुर) ने प्रार्थी वादीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते प्रतिवादीया बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने कारण उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जावे, को अपने आदेश दिनांक 25—5—2006 के द्वारा खारिज किया है, जिससे व्यथित होकर उक्त निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। इस संबंध में हमने आक्षेपित आदेश का अवलोकन किया। हस्तगत निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार निगरानी का क्षेत्र अत्यन्त सीमित है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश में ऐसी कोई विधिक अथवा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि कारित नहीं की गई है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप किया जा सके। अतः हस्तगत निगरानी खारिज योग्य है।

6— परिणामतः हस्तगत निगरानी एतद्द्वारा खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार नबंर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य